हरियाणा सरकार

श्री बनारसी दास गुप्त

उप मुख्य मंत्री, हरियाणा

का

भाषण

जो उन्होंने

हरियाणा विधान सभा में वर्ष 1988-89 के बजट अनुमान
प्रस्तुत करते समय दिया ।

चण्डीगढ़
22 मार्च, 1988

विषय सूची

		पृष्ठ
नौवां वित्त आयोग	..	2
आर्थिक सर्वेक्षण 1987-88	..	2—3
वार्षिक योजना 1987-88	..	3—4
वार्षिक योजना 1988-89	..	4—5
बीस सूत्रीय कार्यक्रम	..	5—6
सिंचाई	..	6
[illegible] यमुना सम्पर्क नहर परियोजना	..	6—7
[illegible]ण	..	7
[illegible]	..	7—8
[illegible]	..	8—9
[illegible]रता	..	9—10
[illegible]माफी योजनां	..	10—11
[illegible]द्य तथा आपूर्ति	..	12
पशुपालन	..	12
मत्स्य पालन	..	12—13
वन	..	13
उद्योग	..	13—14
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा	..	14—15
परिवहन	..	15
सड़कें तथा भवन	..	15—16
स्वास्थ्य सेवाएं	..	16
जन स्वास्थ्य	..	16—17
शिक्षा	..	17
समाज कल्याण	..	17—18
विशेष संघटक योजना	..	18
पर्यटन	..	19
लोक उद्यम	..	19
संस्थागत वित्त	..	19
संसाधन संग्रह	..	20—21
मैंचिग ग्रान्ट योजना	..	21
प्राकृतिक आपदाएं	..	21—23
संशोधित अनुमान 1987-88	..	23—25
1988-89 के बजट अनुमान तथा वार्षिक योजना 1988-89	..	25—28
व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को रियायतें	..	28—29
कर्मचारियों को लाभ	..	30—31

श्री बनारसी दास गुप्त, उप मुख्य मन्त्री, हरियाणा द्वारा 22 मार्च, 1988 को राज्य विधान सभा में वर्ष 1988-89 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय भाषण ।

माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे गणमाण्य साथियों,

इस गरिमामय सदन के सामने जून, 1987 के महीने में हमारी सरकार द्वारा पदभार संभालने के बाद पहली बार वर्ष 1988-89 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने को मैं अपना सौभाग्य मानता हूं ।

2. वर्ष 1987-88 हरियाणा के इतिहास में युगान्तरकारी रहा है। जनता से बेमिसाल और विशाल बहुमत प्राप्त करने के बाद लोकदल-भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार ने जून 1987 में पदभार संभाला। हरियाणा की जनता के इस सूझबूझ पूर्ण निर्णय से देश के दूसरे भागों में महत्त्वपूर्ण राजनैतिक लहर उत्पन्न हुई है जिसके परिणाम हम निकट भविष्य में ही देखने की आशा रखते हैं । वित्त मंत्री के रूप में नई सरकार का पहला बजट पेश करते हुए मैं हरियाणा की जनता के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट किये बिना नहीं रह सकता जिसने हमारी सरकार को अभूतपूर्व विश्वास दिया है। मैं यह विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि सही मायनों में लोगों की, किसानों की, मज़दूरों की, दलित व पिछड़े वर्ग की, मेहनतकश उद्यमियों और छोटे व्यापारियों की यह सरकार उनके विश्वास को नहीं तोड़ेगी और अपने चुनाव घोषणापत्र में घोषित नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा करने में पूर्णतया कटिबद्ध रहेगी ।

3. वर्ष 1987-88 में शताब्दी का सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। मैं अपने राज्य में सूखाग्रस्त लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का वर्णन आगे करूंगा । इस वर्ष हमने अपनी आज़ादी के 40 वर्ष पूरे होने से संबंधित यादगारी समारोहों में पूर्णरूप से भाग लिया है । राज्य के वित्तीय साधनों को प्रभावित

करने वाली एक और महत्त्वपूर्ण घटना भारत सरकार द्वारा नौवें वित्त आयोग का गठन है जिसका ज़िक्र मैं अब संक्षेप में करना चाहूंगा ।

नौवां वित्त आयोग

4. केन्द्रीय सरकार ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन नौवें वित्त आयोग का गठन किया है जिसके विचारणीय विषय कुछ मामलों में पहले के विचारणीय विषयों से बुनियादी रूप से अलग है । यह मामला आगामी 6 वर्षों में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को मिलने वाली धनराशि की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है । राज्यों से पहले सलाह किए बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा विचारणीय विषय तय किए जाने पर हमने एतराज़ किया है । हमने "मानकित दृष्टिकोण" (Normative Approach) के सिद्धान्त के बारे में भी आपत्ति उठाई है क्योंकि इसका विषयगत परिमाणन आसान नहीं है । वास्तव में माननीय मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल ने इस मामले में केन्द्रीय सरकार के मनमाने रवैये का विरोध करने के लिए गैर कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ सक्रिय रूप से काम किया है । कलकत्ता और बंगलौर में हमारे मुख्य मंत्री सहित इन मुख्य मंत्रियों द्वारा किए गए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप 30 जनवरी, 1988 को गैर कांग्रेस (आई) शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से वैकल्पिक विचारणीय विषयों का प्रारूप प्रधान मंत्री को दिया गया । इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को सावधान कर दिया गया है कि वह ऐसे निश्चय एकतरफा रूप से नहीं कर सकती जिनसे राज्यों के वित्तीय साधनों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो । हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों से ताल्लुक रखने वाले इस महत्वपूर्ण मामले में बड़ी भारी भूमिका निभा रहे हैं । हमें आशा है कि उनके प्रयत्न सफल होंगे ।

आर्थिक सर्वेक्षण 1987-88

5. "हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण, 1987-88", दस्तावेज़ जो माननीय सदस्यों के पास पहले ही है, गत वर्ष के दौरान आर्थिक

स्थिति पर प्रकाश डालता है । मैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं का जिक्र करूंगा । वर्ष 1986-87 में भी राज्य के कुछ इलाकों में सूखा पड़ा था । तुरन्त अनुमानों के अनुसार 1986-87 में राज्य की आय स्थिर कीमतों (1970-71) पर 1985-86 में 1802 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1852 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि वर्तमान कीमतों पर यह 1985-86 में 5494 करोड़ रुपये से बढ़ कर 5897 करोड़ रुपये हो गई है । क्षेत्रवार, प्राथमिक क्षेत्र में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों में क्रमशः 7.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । सूखे का प्रभाव प्राथमिक क्षेत्र में बिल्कुल स्पष्ट है । 1970-71 की कीमतों पर 1986-87 में प्रति व्यक्ति आय 1233 रुपये थी और वर्तमान कीमतों पर यह 3925 रुपये थी । सूखे के बावजूद, हरियाणा में कीमतों में वृद्धि राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में कम हुई है । जहां अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) मार्च, 1986 में 638 से बढ़ कर मार्च, 1987 में 686 हो गया (7.5 प्रतिशत वृद्धि) तथा अक्तूबर, 1987 में बढ़ कर 750 हो गया (9.3 प्रतिशत वृद्धि), हरियाणा का सम्बंधित सूचकांक आधार वर्ष (1972-73=100) मार्च, 1986 और मार्च, 1987 के बीच केवल 7.1 प्रतिशत तथा नवम्बर, 1987 तक 7.6 प्रतिशत बढ़ा । वर्ष 1987-88 के राज्य बजट अनुमानों के आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण से पता चलता है कि पूंजी निर्माण के लिए इसकी प्रत्यक्ष मांग 232 करोड़ रुपये थी जबकि इस के अतिरिक्त 288 करोड़ रुपये की मांग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के पूंजी निर्माण के लिये अप्रत्यक्ष रूप से थी ।

वार्षिक योजना 1987-88

6. चालू वर्ष 1987-88 सातवीं पंच वर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है, जिसके लिये 2900 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था । मूलरूप में वार्षिक योजना 1987-88 के लिए 585 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया था । चालू वर्ष के दौरान सरकारी खज़ाने पर कई भारी वित्तीय दबाव पड़े हैं । विशेष तौर पर,

हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को नये वेतनमान देने पर 139 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा उदार रूप से वृद्धावस्था पैंशन देने में अभी तक 44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । हमने यह भी पाया है कि पिछली सरकार ने वार्षिक योजना 1987-88, आय और व्यय के गलत अनुमानों पर बनाई थी। परिणामस्वरूप, 1987-88 की वार्षिक योजना का परिव्यय संशोधित करके 438.97 करोड़ रुपये करना पड़ा । किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि इस से जरूरी विकास कार्यक्रमों में कोई कमी न आये । संशोधित परिव्यय में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए 125.40 करोड़ रुपए, बिजली परियोजनाओं के लिए 120 करोड़ रुपए, सहकारिता सहित कृषि तथा सम्बन्धित सेवाओं के लिए 40.96 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 15.90 करोड़ रुपए, समाज कल्याण सेवाओं के लिए 97.80 करोड़ रुपए तथा यातायात और संचार सेवाओं के लिये 22.62 करोड़ रुपए रखे गये हैं । इतना ही नहीं, सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के लिए 70.65 करोड़ रुपए की राशि पहले की तरह ही रखी गई है ।

वार्षिक योजना 1988-89

7. वार्षिक योजना 1988-89 के लिए 600 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है जो चालू वर्ष के संशोधित परिव्यय से लगभग 37 प्रतिशत अधिक है । वार्षिक योजना 1988-89 में सहकारिता सहित कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के लिए 53.46 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास के लिए 13.48 करोड़ रुपए, सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए 102.26 करोड़ रुपए, बिजली के लिए 182.83 करोड़ रुपए, उद्योगों के लिये 10.50 करोड़ रुपये, परिवहन तथा संचार के लिए 33.96 करोड़ रुपए, समाज सेवाओं के लिए 190.50 करोड़ रुपए तथा अन्य सेवाओं के लिए 13.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना के लिए 34.50 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है । पुनः, राज्य सरकार ने कुल खर्चे का 30.47 प्रतिशत बिजली के लिए तथा 17.04

प्रतिशत सिंचाई के लिए नियत करके कृषि तथा उद्योगों के लिए आधारिक संरचना सुदृढ़ करने पर बल दिया है । इसके अतिरिक्त योजना के कुल खर्चे का 31.75 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं इत्यादि के लिए नियत करके इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी है । वृद्धावस्था पैंशन भोगियों को दिए गए वचन को पूरा करने की सरकार की समर्थता के बारे में सभी सन्देहों को दूर करने के लिए वृद्धावस्था पैंशन योजना को योजना स्कीम के रूप में अनुमोदित किया गया है। मुझे आशा है कि सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम की माननीय सदस्य सराहना करेंगे ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

8. संशोधित 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों में त्वरित व सम्पूर्ण प्रगति करना है । गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 1987-88 में 77,628 परिवारों को सहायता देने के लक्ष्य के मुकाबले में फरवरी, 1988 तक 59,926 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई जिन में अनुसूचित जातियों के 33,845 परिवार शामिल हैं । फरवरी, 1988 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 32.30 लाख श्रम-दिनों का रोज़गार पैदा किया गया है । व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.51 लाख बच्चे लाभान्वित किये गये हैं तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन 65,900 नसबन्दी अपरेशन फरवरी, 1988 तक किये गये हैं । आवास क्षेत्र में कमज़ोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अन्तर्गत 632 परिवारों को तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 998 अनुसूचित जाति के परिवारों को आवासीय सुविधा फरवरी, 1988 तक दी गई है । गन्दी बस्ती उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 46,000 लोगों को लाभ पहुंचा है । इसी प्रकार, फरवरी, 1988 तक 20,000 के लक्ष्य के मुकाबले में 25,375 पम्पिग सैटों को बिजली दी गई है तथा 52,200 उन्नत चूल्हे लगाये गये हैं । वर्ष 1987-88 के दौरान 26,000 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है जबकि

आगामी वर्ष का लक्ष्य 45,000 हेक्टेयर है। वर्ष 1987-88 के अन्त तक जल तथा भूमि संरक्षण हेतु और बारानी खेती को बढ़ावा देने के लिए 195 माइक्रोवाटर शेड विकसित किये जायेंगे। चालू वर्ष में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत दालों और तिलहन के 29,600 मिनीकिट के अलावा तिलहन तथा दलहन विकास कार्यक्रम के अधीन दालों के 2,200 तथा तिलहन के 4,800 मिनीकिट वितरित किये गये।

सिंचाई

9. लगातार प्रयत्नों के बावजूद, राज्य की आर्थिक व्यवस्था कृषि-प्रधान ही रही है। कृषि को मौसम की अनिश्चितताओं से अप्रभावित बनाने के लिए, हमने सिंचाई के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। नहर आधुनिकीकरण परियोजना के अधीन दिसम्बर, 1987 तक 451 करोड़ वर्गफुट सिंचाई नालियों को पक्का किया गया जिससे 1.892 क्यूसेक जल क्षमता को बचाया जा सका। विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अधीन 1.43 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा करते हुये हरियाणा राज्य लघु सिंचाई व नलकूप निगम के जरिये 17,000 किलोमीटर जल मार्ग किसानों के खेतों में पक्के बनाये गये हैं। वर्ष 1986-87 के मुकाबले में 1987-88 के दौरान हरियाणा राज्य लघु सिंचाई व नलकूप निगम ने अपने समवर्धन तथा सीधी-सिंचाई नलकूपों को लगभग 60 प्रतिशत अधिक क्षमता से चला कर सूखे की स्थिति का मुकाबला करने में बहुत सहायता की है। वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए आधुनिकीकरण परियोजना के लिए योजना खर्च की व्यवस्था क्रमश: 19.92 करोड़ रुपये तथा 20 करोड़ रुपये रखी गई है। दक्षिण-पश्चिम हरियाणा के ऊंचे-नीचे क्षेत्रों में स्थित जवाहर लाल नेहरू तथा लोहारू नहर उठान सिंचाई स्कीम पर वर्ष 1987-88 में 6 करोड़ रुपये तथा 1988-89 में 9 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ऐसे स्थानों पर छिड़काव सिंचाई के प्रयोग को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

सतलुज यमुना सम्पर्क नहर परियोजना

10. पंजाब में 212 किलोमीटर लम्बे सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के भाग को पूरा करने की अन्तिम तिथि कथित रूप से अक्तूबर, 1988

तक बढ़ा दी गई है । हमारे राज्य के लिए यह बहुत गम्भीर मामला है कि इस परियोजना पर कार्य खिचता चला जा रहा है जिसका कोई अंत नहीं दिखता । इसे पूरा करने में देरी के कारण न सिर्फ हमारे राज्य को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये के कृषि उत्पादनों से वंचित किया जा रहा है, बल्कि परियोजना का व्यय भी बढ़ता जा रहा है। इस परियोजना को पूरा करना हमारे राज्य के विस्तृत क्षेत्रों को सूखे से बचाने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस परियोजना की लागत 1981 में 176 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1988 में 366 करोड़ रुपये हो गई है तथा प्रधानमंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने के बावजूद इस नहर का निमार्ण कार्य किसी केन्द्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया है । वैसे इस समय पंजाब राज्य का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार की निगरानी में चलाया जा रहा है । मैं केन्द्रीय सरकार तथा प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि हमारी शिकायत को दूर किया जाये तथा सतलुज यमुना सम्पर्क नहर को इस वर्ष जून तक पूरा कर दिया जाये ।

बाढ़ नियंत्रण

11. सरकार ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बड़ी-बड़ी योजनायें बनाई हैं । परिणामस्वरूप, अभी तक राज्य में इस प्रकार के 22 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में से 16 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान कर दी गई है । वर्ष 1987-88 के दौरान 7 करोड़ रुपये की लागत से 4000 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं के अधीन लिये गये हैं जबकि वर्ष 1988-89 में इस लागत को बढ़ा कर 13 करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

बिजली

12. बिजली आधुनिक समाज का जीवनाधार होने के कारण राज्य आयोजना में उच्चतम प्राथमिकता पाती रही है । चालू वर्ष के दौरान, पश्चिमी यमुना नहर पन-बिजली योजना के 8-8 मैगावाट के दो और यूनिट चालू किये गये हैं जबकि पानीपत प्लांट के 210 मैगावाट क्षमता वाले पाँचवें यूनिट पर ज्यादातर कार्य अक्तूबर, 1988 तक पूरा कर लिया जायेगा । हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड

840 मैगावाट क्षमता के यमुनानगर ताप बिजली परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के साथ अनुबंध की शर्तों के बारे में बातचीत कर रहा है। यह संतोष का विषय है कि बिजली की दैनिक प्राप्ति एक नये रिकार्ड तक पहुंची और 1987-88 के पहले 9 महीनों में बिजली की प्राप्ति 4555 मिलीयन यूनिट हो गई है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए यह 3799 मिलीयन यूनिट थी। इसी प्रकार, दिसम्बर, 1987 तक हमारे ताप बिजलीघरों में प्लांट लोड फैक्टर बढ़ कर 38.7 प्रतिशत हो गया जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 32.4 प्रतिशत था।

भयंकर सूखे द्वारा उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए बोर्ड उपलब्ध बिजली का लगभग 55 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को देता रहा है और उस ने नलकूपों को बिजली देने के लक्ष्य को भी 20,000 से बढ़ा कर 25,000 कर दिया है। राज्य बिजली बोर्ड को औद्योगिक विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण दिलाने हेतु इस को एक इक्यूटी आधार वाली निगमित संस्था का रूप देने का भी निर्णय लिया गया है।

कृषि

13. कृषि हमारी 78 प्रतिशत आबादी का मुख्य आधार है और राज्य की कुल आय में इस क्षेत्र का योगदान 42.4% तक है। विश्व बैंक अनुदानित राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना का द्वितीय चरण तथा सूखी खेती और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत-इटली कृषि परियोजना गुड़गांव, महेन्द्रगढ़ तथा भिवानी जिलों में चालू है। इसके अतिरिक्त, तिलहन तथा दालों की उपज को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना लागू की गई हैं। वर्ष 1987-88 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य खरीफ के दौरान 23.3 लाख टन तथा रबी की फसल के लिए 58.5 लाख टन था और गन्ने (गुड़), कपास तथा तिलहन के लिए लक्ष्य क्रमशः 7 लाख टन, 8.4 लाख गांठें तथा 2.97 लाख टन थे। किन्तु वर्षा की अत्यधिक कमी के कारण उत्पादन कार्यक्रम को

काफी क्षति पहुंची है। खरीफ के दौरान अनाज की पैदावार केवल 12.48 लाख टन हो पाई तथा गन्ने (गुड़) तथा कपास की उपज क्रमशः 4.22 लाख टन तथा 6.4 लाख गांठें होने का अनुमान है। वर्तमान रबी के दौरान भी सूखा रहा और हाल ही में वर्षा होने के बावजूद, रबी में खाद्यान्न उत्पादन केवल 46.35 लाख टन हो सकता है। किन्तु तिलहन का उत्पादन 2.97 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में 3.5 लाख टन हो सकता है।

वर्ष 1988-89 के दौरान, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 83.55 लाख टन नियत किया गया है और गन्ने (गुड़), तिलहन तथा कपास का लक्ष्य क्रमशः 8.2 लाख टन, 3.1 लाख टन और 9.1 लाख गांठों का है। अगले वर्ष के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत चालू वर्ष के 22.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले में 27.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र आ जाने की आशा है। वर्ष 1988-89 के लिए प्रमाणित बीजों, रासायनिक खादों तथा कीटनाशक दवाइयों की खपत के लक्ष्य क्रमशः 2.04 लाख क्विंटल, 4.95 लाख टन और 4500 टन नियत किए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में नलकूप लगाने के लिए अनुदान राशि 1.4 करोड़ रुपये तथा छिड़काव सिंचाई सं ं के लिए 90 लाख रुपये रखी गई है।

बारानी खेती को बढ़ावा देने तथा वाटर शैडों के विकास के लिए समन्वित रूप से एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस के लिए 50 लाख रुपये की राशि रखी गई है। खारी तथा कल्लर भूमि के सुधार हेतु जिप्सम की खरीद के लिए 1.35 करोड़ रुपये की अनुदान राशि रखी गई है।

सहकारिता

14. ग्रामीण तथा कृषि विकास में हमारे राज्य की सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। वर्ष 1987 की खरीफ फसल के दौरान 57 करोड़ रुपये के फसली ऋण दिए गए और रबी 1988 के लिए यह लक्ष्य 125 करोड़ रुपये का है। वर्ष 1987-88 के लिए हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक का भूमि के विकास, बागवानी

के विकास तथा कृषि संयंत्रों आदि के लिए 70 करोड़ रुपये के ऋण वितरित करने का लक्ष्य है। हैफेड वर्ष 1987-88 के दौरान 175 करोड़ रुपये के कृषि उत्पाद तथा 62.5 करोड़ रुपये के उर्वरक की बिक्री करेगी। चालू वर्ष के दौरान, इसके जाटूसाना जौ-माल्ट संयंत्र के चालू हो जाने की संभावना है। कन्फैड इस वर्ष 30 टन क्षमता वाली आटा मिल स्थापित कर रही है। इस वर्ष राज्य में सात चीनी मिलों ने 1 करोड़ क्विंटल से अधिक गन्ना पेरकर तथा 9.42 % चीनी निकालकर बड़ा शानदार कार्य किया है। इसके अतिरिक्त इन मिलों ने गन्ने के लिए पिछले वर्ष की कीमतों से 8 रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक कीमतें दीं। 1988-89 के दौरान सहकारी समितियों के विकास पर परिव्यय 6.85 करोड़ रुपये नियत किया गया है।

कर्जा माफी योजना

15. यह तथ्य खेदपूर्ण होते हुए भी सत्य है कि गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर, छोटे कारीगर तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग के सदस्य काफी लम्बे समय से कर्जों के असह्य भार के नीचे दबे चले आ रहे हैं। ये गरीब कर्ज़दार अपने कर्जे वापिस करने के योग्य नहीं हैं क्योंकि उन्हें पहले अव्यवहारिक योजनायें दे दी गई तथा कर्जे मेले जैसे दिखावटी अभियानों के जरिये उन्हें कर्जे बांटने में धांधली बरती गई। ऐसे निस्सहाय कर्जदार कर्जे के कुचक्र में फंस गये हैं जहां प्रायः ब्याज का बोझ ही अनेक मामलों में मूलधन से भी अधिक बढ़ गया है। इससे भी खराब बात यह है कि गरीब कर्ज़दार को बाकीदार माने जाने पर किसी अन्य ऋण सुविधा से भी वंचित कर दिया जाता है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि किसानों को कर्जा-राहत दिलाने के लिए पहल सर छोटू राम द्वारा की गई जिनकी ख्याति में हरियाणा को गर्व है। हरियाणा के सुपूत तथा किसानों के दोस्त द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक दल नेता चौधरी देवी लाल ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में हरियाणा के मतदाताओं को वचन दिया था कि वह गरीबों के ऋण-भार को दूर कर देंगे। इसी लिये, हमारी

सरकार ने 10 अगस्त, 1987 को मतदाताओं से किये गये वायदे पूरे करने के लिए ठोस कदमों की घोषणा की। इस योजना को बाद में और भी उदार बना दिया गया। मुझे यहां कर्जा माफी योजना का सारा ब्यौरा देने की जरूरत नहीं जिसे पहले ही कारगर ढंग से लागू किया जा रहा है। फिर भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में सहकारी बैंकों के कर्जे प्रति कर्जदार 10,000 रुपए की सीमा तक माफ कर दिए गए हैं। कर्जों में राहत की सुविधा न केवल किसानों को बल्कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, छोटे कारीगरों, छोटे दुकानदारों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी दी गई है जिन्हें हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम आदि से कर्जे मिले हैं। हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा दिए गए बकाया ट्रैक्टर कर्जों पर 10,000 रुपए प्रति ट्रैक्टर की दर से कर्जे की राशि माफ कर दी गई है। कर्जा माफी योजना से लाभ उठाने वालों की संख्या 11.7 लाख है। सहकारी बैंक कर्जों में राहत की राशि 59.68 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जब कि समाज कल्याण विभाग के अधीन निगमों द्वारा दी जाने वाली राहत की राशि 8.36 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों से निर्धन गैर-स्वैच्छिक बाकीदारों के कर्जे के मामलों पर फिर से विचार करने के लिए कहा है ताकि उन्हें अल्प ऋण गारंटी योजना, 1971 के अधीन कर्जा राहत दिलाई जा सके। ऐसे कर्जों के अन्तर्गत राशि 162 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि राज्य में सहकारी बैंकों ने सहकारी कर्जों में राहत देने के लिए जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली है। समाज कल्याण विभाग के अधीन निगम भी योग्य मामलों की सक्रिय रूप से समीक्षा कर रहे हैं किन्तु वाणिज्यिक बैंकों से सहयोग प्रोत्साहन देने वाला नहीं रहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकार की कृषक-कल्याण सम्बंधी योजनाओं में और बातों के अतिरिक्त अल्पऋण गारंटी योजना 1971 को सच्ची भावना से कार्यान्वित करते हुये सहयोग दें।

खाद्य तथा आपूर्ति

16. खाद्य तथा आपूर्ति विभाग हेफेड तथा भांडारागार निगम के साथ केन्द्रीय भंडार में अंशदान के लिए खाद्यान्न खरीद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सूखे के बावजूद वर्ष 1987-88 के दौरान, वर्ष 1986-87 की 23.39 लाख टन की उपलब्धि के मुकाबले में 22.47 लाख टन गेहूं खरीदा गया । इस विभाग ने राज्य में उचित मूल्य की 6447 दुकानों के ज़रिये सार्वजनिक वितरण के लिए प्रत्येक मास 30,000 टन गेहूं, 3500 टन चावल, 6400 टन चीनी, 35,000 टन सीमेंट और 2000 टन खाद्य तेल जारी किया है । आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कारगर ढंग से काबू पाने के लिए जिला स्तरीय समितियों के साथ-साथ एक राज्य स्तरीय मूल्य-निरीक्षण समिति बनाई गई है ।

पशुपालन

17. पशुपालन कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और हरियाणा में पशुपालन के क्षेत्र में बड़ी समृद्ध परम्पराएं हैं । इस विभाग ने 406 पशुचिकित्सा हस्पतालों, 401 पशुचिकित्सालयों, 60 क्षेत्रीय कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों और 817 स्टाकमैन केन्द्रों का जाल बिछा रखा है । समन्वित पशु विकास परियोजना आठ ज़िलों में चल रही है । वर्ष 1987-88 के दौरान 40 और चिकित्सालय खोले जा रहे हैं तथा अगले वर्ष में भी 40 अतिरिक्त चिकित्सालय खोले जायेंगे । इस विभाग के जोरदार प्रयत्नों के कारण, वर्ष 1988-89 तक दूध का उत्पादन 29 लाख टन तक, अंडों का 34.5 करोड़ तक और ऊन का 13.2 लाख किलोग्राम तक हो जाने का अनुमान है । इन गतिविधियों के लिए वर्ष 1988-89 के लिए योजना परिव्यय 5 करोड़ रुपए है ।

मत्स्य पालन

18. मत्स्य पालन योजनाओं के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान योजना परिव्यय 1.65 करोड़ रुपये है। वर्ष 1988-89 के लिए मत्स्य उत्पादन तथा मत्स्य-बीज वितरण के लक्ष्य क्रमशः 18,000 टन तथा 4 करोड़ हैं । सिरसा तथा हिसार में दो और मत्स्य-किसान विकास अभिकरण शीघ्र ही स्थापित किए जाएंगे और वर्ष 1988-89

के दौरान पूर्व लाभान्वित व्यक्तियों को सहायता की दूसरी किस्त दिए जाने का भी विचार है।

वन

19. प्राकृतिक देन के रूप में हरियाणा का कुल 3.8 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत था किन्तु वानिकी और विशेष तौर पर सामाजिक वानिकी के जोरदार प्रयत्नों से राज्य का वनक्षेत्र बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1988-89 के दौरान, 23 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र वनों के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि-वानिकी को लोकप्रिय बनाने तथा गरीबों के आय स्तर को ऊपर उठाने के लिए, विकेन्द्रीकृत पौधशालाओं की एक योजना शुरू की गई है। यह विभाग वर्ष 1987-88 के दौरान क्रेट, सेब की पेटियां, फर्नीचर आदि तैयार करने तथा इमारती लकड़ी बेचने जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों से 5.66 करोड़ रुपये की आय अर्जित करेगा।

अपने चुनाव वायदे को पूरा करते हुये हमारी सरकार ने किसानों को सड़कों के किनारे खेतों के साथ-साथ खड़े वृक्षों का आधा हिस्सा देने का निर्णय किया है। इस उपाय से न केवल ऐसे किसानों को मुआवजा मिल सकेगा, जिनकी फसलों को वृक्षों से नुकसान पहुंचता है, बल्कि इससे सामाजिक वानिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

उद्योग

20. औद्योगिक क्षेत्र में, दिसम्बर, 1987 तक लघु उद्योगों के 3663, ग्रामीण उद्योगों के 1988 और बड़े मध्यम स्तर के 10 यूनिट स्थापित किए गए हैं। जिला गुड़गांव में 100 करोड़ रुपये की लागत वाला वैकसीन यूनिट सितम्बर, 1990 तक चालू हो जाएगा। वर्ष 1988-89 के लिए 3500 यूनिट लघु उद्योगों के तथा 2500 यूनिट ग्रामीण उद्योगों के स्थापित करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार वर्ष 1987-88 के दौरान, पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए स्व-रोज़गार की योजना के अधीन 2300 यूनिटों की स्थापना की

जाएगी । राज्य में इलैक्ट्रानिक उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी 500 यूनिटों का समूह गुड़गांव में शीघ्र बन जाएगा, जबकि अम्बाला तथा गुड़गांव के इलैक्ट्रानिक केन्द्रों ने आम इस्तेमाल के 50 नए इलैक्ट्रानिक उपकरणों का विकास कर लिया है ।

उद्योग विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम डबवाली, करनाल, जगाधरी तथा रोहतक में नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित कर रहे हैं। फरीदाबाद में हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम 81 औद्योगिक शैड बना रहा है। इस निगम ने फरवरी 1988 तक 51 परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र प्राप्त कर लिए हैं। उद्योगों के विकास के लिए वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 में योजना-व्यवस्थाएं क्रमशः 10 करोड़ रुपए तथा 10·5 करोड़ रुपए हैं। हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम राज्य में उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा विपणन सुविधायें जुटा रहा है । हरियाणा वित्त निगम ने दिसम्बर, 1987 तक 23 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है जिसमें लघु उद्योगों का हिस्सा 80% है। इस निगम की अगले वर्ष के दौरान 30 करोड़ रुपए के कर्ज देने की योजना है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा

21. सरकार ने विकास क्षेत्र में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की है। वर्ष 1988-89 के दौरान, अंक छवि प्रणयन प्रणाली (डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम) 40 लाख रुपए के खर्च से स्थापित की जाएगी। अगले वर्ष के दौरान, समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम को दो और खंडों में लागू किया जाएगा तथा एक और ऊर्जा ग्राम की स्थापना की जाएगी। गैर-परम्परागत ऊर्जा-साधन विभाग, डैनमार्क के सहयोग से ग्वालपहाड़ी (गुड़गांव) में 25 करोड़ रुपए के खर्च से सौर ऊर्जा केन्द्र स्थापित कर रहा है। बिलासपुर गांव में सौर दुग्ध प्रशीतन संयंत्र 70 लाख रुपए के खर्च से स्थापित किया जा रहा

है। इसके अतिरिक्त, ककरोई (सोनीपत) में 400 किलोवाट लघु पन-बिजली परियोजना के दो यूनिट पहले ही चालू हो चुके हैं।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में, हिसार में आभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान और फतेहाबाद तथा उटावड़ में नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव है।

परिवहन

22. हरियाणा परिवहन समस्त देश में एक गौरवशाली स्थान रखता है। इस विभाग ने सभी प्रकार की बस-बाडी बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए की हिस्सा-पूंजी से गुड़गांव में हरियाणा परिवहन अभियान्त्रिकी निगम स्थापित किया है। इस निगम ने बसों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थागत वित्त जुटाना आरंभ कर दिया है। हाल ही में, चंडीगढ़ से विभिन्न जिला मुख्यालयों तक सेमी डीलक्स बस सेवाएं चालू की गई हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर सहायक सेवा जुटाने के लिए, मिनी बसों का एक बेड़ा जोड़ा जा रहा है। वर्ष 1987-88 के दौरान 445 और वर्ष 1988-89 के दौरान 705 नई बसें खरीदी जाएंगी और इन वर्षों के लिए योजना खर्च क्रमशः 12.30 करोड़ रुपए तथा 14.00 करोड़ रुपए रखा गया है।

सामाजिक-हित की दृष्टि से हमारी सरकार ने हाल ही में बेरोज़गार नवयुवकों को सरकारी पदों के लिए साक्षात्कार हेतु जाने के लिए मुफ्त बस यात्रा की अद्वितीय सुविधा प्रदान की है।

सड़कें तथा भवन

23. सड़कें विकास का प्राणाधार हैं। वर्तमान 20,000 किलोमीटर लम्बे सड़कों के जाल को और मजबूत तथा चौड़ा करने के अतिरिक्त वर्ष 1987-88 के दौरान, 150 किलोमीटर और वर्ष 1988-89 के दौरान 220 किलोमीटर नई सड़कें जोड़े जाने का प्रस्ताव है। ओमला और टांगरी नदियों पर और सोनीपत तथा करनाल जिलों में यमुना नदी पर बनाये जाने वाले पुलों से परिवहन खर्च में काफी हद तक बचत होगी। सातवीं योजना के अन्त तक शेष बचे 44 निर्देशक गांव भी सड़कों से जोड़ दिये जायेंगे। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास 100 करोड़ रुपए से

अधिक की विश्व बैंक की सहायता द्वारा करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1987-88 के दौरान, 23 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्माण कार्य जैसे हरियाणा भवन-एनेक्सी, पंचकूला में सरकारी कर्मचारियों के लिए 88 मकान तथा भिवानी, अम्बाला, करनाल, जींद तथा महेन्द्रगढ़ जिलों में विश्राम गृह किये गये हैं। वर्ष 1988-89 की योजना में सड़क तथा भवन निर्माण के लिये 18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाएं

24. राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 1987-88 के दौरान 150 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं जबकि 1988-89 के दौरान 150 और उप स्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। वर्ष 1988-89 के लिए योजना परिव्यय 11.96 करोड़ रुपए रखा गया है। राष्ट्रीय अंधता-निवारण कार्यक्रम के अधीन, दिसम्बर, 1987 तक 18474 इन्ट्रा-आकुलर आपरेशन किए गए। 2.70 लाख औद्योगिक कामगारों के लिए कर्मचारी बीमा योजना की सुविधा 3 अस्पतालों और 68 औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वर्ष राज्य में 20 आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन को और चुस्त किया जा रहा है ताकि "2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित समय से कहीं पहले सभी लक्ष्य पूरे किए जा सकें।

जन स्वास्थ्य

25. हमने विकास कार्यों में राज्य के सभी लोगों के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फरवरी, 1988 तक 380 गांवों के लक्ष्य के विरुद्ध 370 समस्याग्रस्त गांवों को पेय जल सुविधा प्रदान की गई है जबकि अगले वर्ष 440 अतिरिक्त समस्याग्रस्त गांवों को यह सुविधा दी जाएगी। चालू वर्ष में भीषण सूखे की स्थितियों में वर्तमान जल-प्रदाय प्रणाली को सुधारने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 75 अतिरिक्त नलकूपों तथा शहरी क्षेत्रों में 25 नलकूप खोदने का कार्य

5.85 करोड़ रुपए की लागत से हाथ में लिया गया है। अगले वर्ष के दौरान जल-प्रदाय और मल-निकास योजनाओं के लिए 25.74 करोड़ रुपयों तथा परिवर्धित ग्रामीण जल-प्रदाय योजना के अन्तर्गत 5.31 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा

26. वार्षिक योजना 1988-89 में शिक्षा के लिए 32.43 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। 1987-88 के दौरान दो नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं और विज्ञान कक्षाएं खोलकर, इलैक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर विज्ञान जैसे विषय प्रारम्भ कर तथा विज्ञान-उपकरण और पुस्तकें आदि प्रदान कर विज्ञान शिक्षा को संवर्द्धित करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। वर्ष 1988-89 के दौरान उच्चतर शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण के लिए एक राज्य परिषद् और 9 नए उपमंडलीय पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस वर्ष और अगले वर्ष भी 100-100 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना के अन्तर्गत 66 विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी और 968 प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापन हेतु उपकरण दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत, रोहतक, हिसार, सिरसा, जींद, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में 6 नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं और 3 और ऐसे विद्यालय महेन्द्रगढ़, भिवानी और कुरुक्षेत्र जिलों में अगले वर्ष खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त, 1987-88 के दौरान भिवानी, सोनीपत और महेन्द्रगढ़ जिलों में तीन केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और गुड़गांव और सोनीपत में शिक्षा और प्रशिक्षण के दो जिला संस्थान स्थापित किए गए हैं। प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्तमान 6100 केन्द्रों में 900 और केन्द्र जोड़कर इसे और मज़बूत बनाया जाएगा। इसी प्रकार 1988-89 के दौरान 600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

समाज कल्याण

27. वृद्धों के प्रति सद्भावना के रूप में, हमारी सरकार ने एक उदार वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की है जिस के अन्तर्गत 100 रुपए प्रति मास की दर से पेंशनें दी जाती हैं। इस पेंशन के लिए पात्रता का

मापदण्ड यह है कि इस से फायदा उठाने वाला व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए, 65 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए, किसी अन्य स्त्रोत से उसे 100 रुपए प्रतिमास से अधिक पेंशन नहीं प्राप्त होनी चाहिए और आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत पति और पत्नी दोनों पेंशन पाने के हकदार हैं। इस योजना के अन्तर्गत, अभी तक ग्रामवार-गणना के माध्यम से लगभग 6.5 लाख लोगों को चुना गया है और केवल इस योजना पर इस वर्ष के दौरान 44 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगले वर्ष, इस योजना के लिए परिव्यय 74.65 करोड़ रुपए है। इस योजना को वार्षिक योजना का अभिन्न अंग बना लिया गया है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए बस्तियों के पर्यावरण सुधार और आवास सहायता की योजनायें 1987-88 और 1988-89 के दौरान 1.56 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की लागत पर हाथ में ली गई हैं। हरिजन कल्याण निगम ने 1987-88 के दौरान राज्य सरकार से 27 लाख रुपए की अतिरिक्त हिस्सा पूंजी की सहायता से दिसम्बर 1987 तक 11784 लोगों की सहायता की है। हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम को 1987-88 के दौरान 40 लाख रुपए की हिस्सा पूंजी प्रदान की गई है और 1988-89 के दौरान 60 लाख रुपए और हिस्सा पूंजी दी जाएगी।

विशेष संघटक योजना

28. वर्ष 1987-88 के लिए 438.97 करोड़ रुपए के संशोधित योजना परिव्यय और वर्ष 1988-89 के लिए 600 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय में से क्रमश: 41.9 तथा 50.4 करोड़ रुपए के परिव्यय अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोगों की सहायता के लिए विशेष संघटक योजना में निर्धारित किए गए हैं। फरवरी 1988 तक, 998 परिवारों को आवासीय सहायता दी गई है और 33845 परिवारों को विभिन्न लाभभोगीन्मुख योजनाओं के अन्तर्गत सुविधा प्रदान की गई है। इसी प्रकार समाज के इन वर्गों के लिए चौपालों के निर्माण हेतु 51 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है।

पर्यटन

29. वर्ष 1987-88 के दौरान मोरनी पहाड़ियों, कृष्ण धाम (कुरुक्षेत्र) और नरवाना में नये पर्यटन केन्द्र खोल कर और अबूब शहर और आसा खेड़ा में पर्यटन केन्द्रों को पुनः खोल कर हरियाणा में पर्यटन के जाल को और अधिक मजबूत बनाया गया। मैना और मैगपाई पर्यटन केन्द्रों में सभागारों सहित क्रमशः एक नौ कमरों वाला मोटल और 20 और कमरे जोड़े गये। बहादुरगढ़, बल्लबगढ़, दभदमा और पंचकूला में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कार्य को भी हाथ में लिया गया है। 1988-89 की वार्षिक योजना में पर्यटन के विकास के लिए 1.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

लोक उद्यम

30. सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कार्य और परिणामों के लगातार पुनरीक्षण तथा पूंजी लगाने के प्रस्तावों पर परामर्श देने के लिए सरकार ने एक लोक उद्यम ब्यूरो का गठन किया है। आशा की जाती है कि इस ब्यूरो से राज्य में आर्थिक प्रशासन की एक ठोस विधा उत्पन्न होगी।

संस्थागत वित्त

31. 1987-88 के दौरान राज्य में वाणिज्यिक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 56 नई शाखायें खोली गई जबकि 117 नई शाखायें खोलने के लिए लाईसेंस दिए गए हैं। सूखे से प्रभावित लोगों को राहत देने तथा ऋण प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जों को पुनर्निर्धारित करने, दूसरी बुआई तथा चारा उगाने के लिए कर्ज़े और खपत कर्ज़े आदि मन्जूर करने के लिए मार्ग-दर्शक निर्देश जारी किए हैं। इस कार्य की प्रगति की निगरानी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है और जनवरी, 1988 तक लगभग 42,000 लोगों को 27.5 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। यह विभाग क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र में एक उद्यमी विकास केन्द्र के स्थापना की भी व्यवस्था कर रहा है।

धन संग्रह 32. जहां सरकार जनता को सर्वोत्तम सेवाएं और सुविधायें प्रदान करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतया जागरुक है, वह इन गतिविधियों को हाथ में लेने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने की आवश्यकता के प्रति भी सचेत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने जहां कहीं से भी संभव हो साधन जुटाने के उपायों पर राज्य सरकार को परामर्श देने, सरकारी काम काज में कुशलता तथा मितव्ययता लाने तथा वित्तीय प्रबन्ध को चुस्त बनाने के लिए एक संसाधन समिति का गठन किया है ताकि विकास गतिविधियों के रास्ते में साधनों की कमी न आये।

संसाधन समिति ने अभी तक कई बैठकें की हैं और उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दूरगामी सुझाव दिये हैं। उदाहरण-स्वरूप, समिति ने यह महसूस किया है कि राज्य भर में कई मौके की जगहों पर सरकारी भूमि के बड़े-बड़े टुकड़े बेकार पड़े हुए हैं और जिनका शहरी विकास तथा साधन जुटाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस समिति के मार्गदर्शन में ऐसे भूखण्डों की पहचान की जा रही है और उन के उपयोग के लिए योजनाओं को हाथ में लिया गया है। इस के अतिरिक्त समिति की सिफारिशों पर, बिक्री कर की दरों को तर्कसंगत बनाया गया है जिस से 1987-88 के दौरान 7 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की आय हुई है। बस सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में बस किरायों में भी वृद्धि की गई है और ऐसा करने से इस वर्ष के दौरान राज्य सरकार को 6 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। 1988-89 के लिए आबकारी नीति संसाधन समिति की सलाह के अनुसार ढाली गई है और यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान आबकारी राजस्व इस कारण पर्याप्त रूप में बढ़ेगा। अन्त में, बिक्री कर से राज्य सरकार को एकसमान आय उपलब्ध करने की दृष्टि से समिति के परामर्श पर 1-1-1988 से बिक्री कर की मासिक जमा योजना चालू की गई है। हम आशा

करते हैं कि संसाधन समिति की महत्त्वपूर्ण सिफारिशें राज्य सरकार को अपनी निरन्तर बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को बिना किसी वित्तीय बाधा के पूरा करने में सहायता देंगी ।

मैचिंग ग्रान्ट योजना

33. हमारी सरकार विकास गतिविधियों में लोगों द्वारा अधिक से अधिक भाग लेने में विश्वास करती है और इस लिए उसने सम्पूर्ण राज्य में मैचिंग ग्रान्ट योजना चालू की है। वर्ष 1987-88 के दौरान इस योजना के लिए 2.60 करोड़ रुपए की मूल व्यवस्था को 3.94 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और अगले वर्ष के लिये हमने 2.66 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। सरकार ने राज्य से बाहर बसे हुए लोगों समेत हरियाणा के सभी लोगों से यह निवेदन किया है कि वे राज्य में किसी भी गांव या नगर में किसी भी प्रकार की स्थायी परिसम्पत्ति के निर्माण के लिए नकदी या वस्तुरूप में साधन जुटायें और इसके लिए सरकार ने राजकोष में से अनुदान के रूप में बराबर राशि देने का वायदा किया है । इस के अतिरिक्त, मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री राहत कोष से निर्धन-ग्रामीणों के लिए लाभप्रद रोज़गार जुटाने वाली स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उदार मैचिंग ग्रान्ट मन्जूर की हैं ।

प्राकृतिक आपदाएं

34. अभूतपूर्व सूखे ने खरीफ, 1987 के दौरान राज्य के अधिकांश भागों को विध्वंस किया है जिस से 700 करोड़ रुपए की फसल की हानि हुई । कुछ स्थानों पर भरपूर मौसम में पिछले साल की 5% से 10% तक ही वर्षा हुई । एक ज्ञापन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को 468.35 करोड़ रुपए की सहायता देने के लिए निवेदन किया गया था ताकि लोगों के दुख:दर्द को दूर किया जा सके । किन्तु मुझे सम्माननीय सदस्यों को भारत सरकार के असहानुभूतिपूर्ण रवैये के बारे में सूचित करते हुए खेद होता है कि भारत सरकार ने केवल 37.22 करोड़ रुपए की मन्जूरी दी । हमें इस बात का दु:ख है कि केन्द्र सरकार ने इस मामले में हमारे साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव किया है ।

परिणामस्वरूप हमने लोगों को पर्याप्त मात्रा में तथा उस सीमा तक जहां तक हम चाहते हैं, राहत उपलब्ध कराने में बड़ी कठिनाई महसूस की है। फिर भी, राज्य सरकार ने इस कठिन समय में लोगों को रोज़गार प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि और अतिरिक्त नलकूप बोर करने के लिए, साज-सामान की खरीद तथा जल प्रदाय सुविधाओं में सुधार के लिए 5.85 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, चारा ढोने तथा चारे के मूल्य पर सहायता अनुदान देने के लिए 4.02 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और पशुओं को स्वास्थ्य-रक्षा प्रदान करने पर 3.80 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वर्तमान रबी फसल की संभावनाओं में सुधार लाने की दृष्टि से, हमारी सरकार ने किसानों के लिए 7 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि-निवेश सहायता की व्यवस्था की है। अल्पकालिक और मध्यमकालिक कर्जों तथा आवयाना और तकावी कर्जों की वसूली को भी स्थगित कर दिया है। अभी तक 5771 गांव के तालाबों को पानी से भरा गया है और हमारे समाज के सूखाग्रस्त लोगों को 39.3 लाख श्रम-दिनों का राहत रोज़गार उपलब्ध कराया गया है।

रबी 1987 के दौरान भी कुछ ज़िलों में ओला-वृष्टि हुई, जिस से खड़ी फसलों को व्यापक क्षति पहुंची। हमारी सरकार ने मुआवज़े के रूप में 8.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मैं इस सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 1987-88 में राहत कार्यों पर 10.50 करोड़ रुपये ऐसे खर्च किए हैं जिन को भारत सरकार ने अपने संकुचित निर्देशों के कारण अनुमोदित नहीं किया है, जिसके फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान राज्य पर वित्तीय भार और अधिक बढ़ गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि 7 ज़िलों में अभी हाल ही में ही हुई ओला-वृष्टि द्वारा खड़ी फसलों के नष्ट हो जाने के कारण रबी फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे

6.5 करोड़ रुपए से अधिक की फसल की हानि हुई है। हमारे मुख्य मंत्री, जो किसानों के सच्चे मित्र और शुभचिन्तक हैं, ओला-वृष्टि से प्रभावित ज़िलों में तुरन्त गए और प्रभावित फसलों के लिए नकद मुआवजे की घोषणा की और यहां तक कि उन्होंने स्वयं कई गांवों में कुछ राशि वितरित की। सरकार ने आदेश दिया है कि विशेष गिरदावरी के आधार पर जो शुरू की जा चुकी है, 400 रु० प्रति एकड़ की दर से जहां खराबा 75% से अधिक है, 300 रुपए प्रति एकड़ की दर से जहां खराबा 50% से 75% तक है तथा 200 रु० प्रति एकड़ की दर से जहां खराबा 25% से 50% तक है, नकद मुआवजा दिया जायेगा। यह आपदा वर्तमान रबी में कम बुआई, नमी की कमी तथा निरन्तर सूखे के कारण अंकुरित फसलों को पहुंची क्षति के परिणामस्वरूप कम उपज की संभावनाओं के अतिरिक्त है। इस विषय में किसानों को विभिन्न प्रकार की राहत उपलब्ध कराने की दृष्टि से, हमने केन्द्रीय सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया हुआ है जिस में 317 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की गई है।

संशोधित अनुमान 1987-88

35. भारतीय रिज़र्व बैंक की बहियों के मुताबिक 34.63 करोड़ रुपए के प्रत्याशित अन्तिम घाटे के मुकाबले में, 1987-88 के संशोधित अनुमानों के अनुसार, चालू वर्ष के अन्त में घाटा 3.06 रुपए करोड़ होने की संभावना है। ये आंकड़े गैर-विकास खर्चों को यथासंभव कम करके तथा ज़रूरी विकास व्यय के लिये साधन जुटाते हुये राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संतुलित रखने के सरकार के संकल्प को स्पष्ट तौर पर दर्शाते हैं। यह इस बजट की उल्लेखनीय बात है, बावजूद इसके कि अभूतपूर्व सूखे के कारण, सरकारी कर्मचारियों को 1-1-86 से बकाया भुगतान सहित नए वेतनमान दिये जाने पर 139 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार तथा 65 वर्ष की आयु से ज्यादा के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन की नई योजना के अंतर्गत 44 करोड़ रुपए के खर्चे के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव रहा है। हमने, पिछली कांग्रेस (इ) सरकार से विरासत में प्राप्त साधनों के घाटे को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार को 100 करोड़

रुपए की योजना सहायता तथा 50 करोड़ रुपए का ग़ैर योजना ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया था परन्तु हमारी इस बात को अनसुना कर दिए जाने के कारण हमारे पास 150 करोड़ रुपए की योजना कटौती लागू करने के सिवाय कोई चारा न रहा। राज्य सरकार की गतिशील नीतियों को प्रशासित मूल्यों में तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित डाक एवं दूर-संचार प्रभारों और रेल-सेवा प्रभारों में अत्यधिक वृद्धि के कारण बहुत बड़ा धक्का लगा है। दिसम्बर 1987 तथा जनवरी 1988 के महीनों में इस्पात तथा कोयले की कीमतें क्रमशः 15.6 प्रतिशत तथा 4.5 प्रतिशत और पैट्रोल की लगभग 15 प्रतिशत बढ़ा दी गई। पुनः, फरवरी, 1988 में रेल किराया तथा भाड़ा भी काफ़ी बढ़ा दिया गया और डाक तथा दूर-संचार की दरें भी अत्यधिक बढ़ा दी गईं जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार को लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवल अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। केन्द्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि उगाहने के लिए सूखा-अधिभार भी लगाया, जबकि सूखा राहत की विद्यमान प्रणाली के अधीन राज्यों को दी जाने वाली सहायता व्यावहारिक रूप में अर्थोपायिक सहायता से थोड़ी सी ही अधिक है। केवल यही नहीं, यह सूखा अधिभार वर्ष 1988-89 में भी जारी रखा जा रहा है। इन वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में होने वाली उपर्युक्त अत्यधिक वृद्धि से सरकार का खर्चा बहुत बढ़ गया है और इससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस सब के बावजूद हमने राज्य की वित्तीय स्थिति को न तो नियन्त्रण से बाहर होने दिया है और न ही हमने आवश्यक विकास कार्यक्रमों को कोई हानि पहुंचने दी है। माननीय सदस्यों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हरियाणा में आर्थिक विकास की गति को और तेज़ करते रहेंगे।

सरकार ने गैर योजना खर्च को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। वाहन चलाने में होने वाले खर्च को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान हुए वास्तविक खर्च पर पैट्रोल/डीज़ल की खपत में 10% कटौती की गई है। इसी प्रकार, मुख्य मंत्री, मंत्रियों, प्रशासकीय

सचिवों तथा समान पद के अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, सत्र न्यायाधीशों और उप-महानिरीक्षक तथा इससे वरिष्ठ अधिकारियों तथा गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों को छोड़ कर, सरकार तथा निगमों/बोर्डों के सभी रिहायशी टैलीफोनों से एस० टी० डी० सुविधाएं हटा ली गई हैं। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि ज़िलों में जाने वाले मंत्रियों के स्वागत के लिए सम्मानार्थ पेश की जाने वाली सलामी गार्ड की औपनिवेशिक प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, जिससे न केवल अनावश्यक खर्च होता था बल्कि भारी प्रशासनिक असुविधा भी होती थी। इसके अतिरिक्त, अनावश्यक पदों को भरने पर लगा प्रतिबन्ध तथा ग़ैर-योजना अमले पर लगी 10% कटौती को भी जारी रखा गया है ।

1988-89 के बजट अनमान तथा वार्षिक योजना 1988-89

36. सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमाशाली सदन के समक्ष, वर्ष 1988-89 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं । निम्न-लिखित तालिका में 1987-88 के संशोधित अनुमानों तथा 1988-89 के बजट अनुमानों के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया गया है :–

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1986-87	लेखे 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	संशोधित अनुमान 1987-88	बजट अनुमान 1988-89
1. ग्रथ शेष					
(क) महालेखाकार के अनुसार	(—)31.81	(—)31.81	(—)81.87	(—)43.57	(—)44.26
(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार	(+)4.86	(+)4.86	(—)45.20	(—)2.37	(—)3.06
(ग) प्रतिभूतियों में निवेश	7.45	7.45	7.45	7.98	7.98
2. राजस्व लेखा					
प्राप्तियां	1069.22	1130.17	1275.07	1357.98	1447.47
खर्च	979.03	967.36	1084.34	1314.39	1349.99
अधिशेष	(+)90.19	(+)162.81	(+)190.73	(+)43.59	(+)97.48

(रुपए करोड़ों में)

संघटक	संशोधित अनुमान 1986-87	लेखे 1986-87	बजट अनुमान 1987-88	संशोधित अनुमान 1987-88	बजट अनुमान 1988-89
3. पूंजीगत खर्च	210.78	172.26	184.76	140.23	132.58
4. सार्वजनिक ऋण					
लिया गया ऋण	721.83	542.78	597.48	586.98	532.94
भुगतान	505.12	394.95	464.96	462.30	411.66
निवल	(+)216.71	(+)147.83	(+)132.52	(+)124.68	(+)121.28
5. कर्ज और पेशगियां					
पेशगियां	246.55	185.50	236.68	177.63	221.91
वसूलियां	25.86	23.92	35.43	28.37	33.91
निवल	(—)220.69	(—)161.58	(—)201.25	(—)149.26	(—)188.00
6. अन्तर्राज्यीय निपटान	—	—	—	—	—
7. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	—	—	—	—	—
8. आकस्मिकता निधि निवल	—	(+)1.14	—	—	—
9. अनिधिक ऋण निवल	(+)37.91	(+)38.40	(+)40.08	(+)96.94	(+)48.38
10. जमा तथा पेशगियां निवल	(+)26.10	(—)15.59	(+)22.75	(+)23.59	(+)20.18
11. प्रेषण (निवल)	(+)10.50	(—)12.51	(—)10.50	—	—
12. (क) वर्ष का इति शेष महालेखाकार के अनुसार	(—)81.87	(—)43.57	(—)71.30	(—)44.26	(—)77.52
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(—)45.20	(—)2.37	(—)34.63	(—)3.06	(—)36.32
(ख) प्रतिभूतियों में निवेश	7.45	7.45	7.45	7.98	7.98

उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक की बहियों के अनुसार वर्ष 1988-89 के अन्त में 36.32 करोड़ रुपए का घाटा होने की संभावना है जब कि 1988-89 का प्रारंभिक घाटा 3.06 करोड़ रुपए माना गया है। वर्ष 1988-89 के बजट अनुमानों में 600 करोड़ रुपए की योजना लागत का उपबन्ध किया गया है। क्षेत्रवार, सिंचाई तथा बिजली के लिए उपबन्धित 285 करोड़ रुपए की लागत वर्ष 1987-88 के मुकाबले में 16% अधिक है जबकि सामाजिक सेवाओं के लिए उपबन्धित 190.5 करोड़ रुपए की लागत वर्ष 1987-88 के मुकाबले में 95% और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए 18% अधिक है।

वर्ष 1987-88 का 43.59 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष वर्ष 1988-89 के दौरान बढ़कर 97.48 करोड़ रुपए हो जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि जहां प्राप्तियों में लगातार वृद्धि जारी रहेगी, वहां गैर विकास खर्च में वृद्धि को न्यूनतम स्तर पर रखा गया है। राज्य आबकारी से होने वाली आय अगले वर्ष में 17% की दर से बढ़ने की आशा है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में संशोधन करने के हाल के प्रस्ताव से, जिस में देसी शराब के लाईसेंसदारों पर मनमाने ढंग से अत्यधिक आयकर लगाया जाना है, इन प्राप्तियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम में धारा 44 क ग जोड़े जाने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसके तहत देसी शराब, वन उपज, औद्योगिक छीजन आदि की नीलामी में 60% लाइसेंस शुल्क को लाभ समझा जाएगा जिस पर संबन्धित विभाग द्वारा लाइसेंसदारों से 20% की दर से आयकर वसूल किया जाएगा और आयकर विभाग के पास जमा कराया जाएगा। हमने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले ले, क्योंकि इसको लागू करने से राज्यों के आबकारी-राजस्व में भारी कमी हो जाएगी।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बजट में घाटे को, विभिन्न प्रतिकूल बातों के होते हुए भी, न्यूनतम तथा व्यवहारिक सीमाओं के भीतर रखा गया है । मैं 36.32 करोड़ रुपए के प्रत्याशित घाटे को, कर–राजस्व की बेहतर वसूली द्वारा तथा ग़ैर-योजना खर्च में किफायत करके पूरा करने का प्रस्ताव करता हूं । मैं प्रार्थना करता हूं कि आगामी वर्ष में इन्द्र देवता हम पर कृपावान रहेंगे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था की अंदरूनी लोच मुझे स्वयं समर्थ बना देगी कि मैं अतिरिक्त साधनों को जुटा कर बजट के घाटे को पूरा कर सकूं । इसलिए मैं किसी नए कर को लगाने या किसी वर्तमान कर की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं राज्य की अर्थ व्यवस्था में मुद्रा-स्फीति के किसी दबाव को नहीं लाना चाहता ।

व्यापारियों तथा उद्योग-पतियों को रियायतें

37. जहां वर्ष 1987-88 के दौरान आबकारी तथा कराधान विभाग ने वसूलियों में पिछले वर्ष की आमदनी से 19 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है, वहां इस ने करों में सुधार लाने तथा व्यापारियों और उद्योगपतियों को रियायतें तथा सुविधाएं देने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं । प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकमात्र बिक्री कर फार्म ST 38 फार्म संख्या 37, 61, 62, 68 और 69 के स्थान पर लागू किया गया और बिक्री कर फार्म ST 39 (राहदारी) करमुक्त माल के मामले में जो राज्य से होकर ले जाया जाएगा, नाकों पर अब प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी। कर-निर्धारण के विवाद-ग्रस्त मामलों में कर-निर्धारिणी अव स्वीकृत कर को जमा करा सकते हैं ताकि वे अपील दायर करने के पात्र बन सकें । ऐसे मामलों में जहां व्यापार एक वर्ष में 3,00,000 रु० से अधिक नहीं होता, और जमा किया गया बिक्री कर पिछले वर्ष से 15 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि दिखाता हो, एक संक्षिप्त निर्धारण की प्रणाली शुरू की गई है। इसके साथ ही कैशमीमो जारी करने की सीमा को 50 रु० से बढ़ाकर 75 रु० कर दिया गया है और अब अधिक भुगतान किए गए कर की वापसी निर्धारण-आदेश की प्रति के साथ कर दी जायेगी । इसी

प्रकार, अवाँछनीय बातों को रोकने के लिए पच्चीस अतिरिक्त वस्तुओं के लिए प्रथम प्रक्रम पर बिक्री कर लगाया गया है और हरियाणा सामान्य बिक्री कर की धारा 48 के अधीन दंड लगाने के निर्धारण प्राधिकारी के स्वैच्छिक अधिकार को कम कर दिया गया है । एक उपबंध किया गया है जिसमें कोई व्यापारी जिसका पंजीकरण हेतु आवेदन प्राधिकारियों के पास लम्बित है, विवरणियां दायर कर सकता है और किसी पंजीकृत व्यापारी की तरह बिक्री कर का भुगतान कर सकता है। व्यापार, उद्योग तथा उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में बिक्री कर के मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए, एक बिक्री कर सलाहकार समिति का गठन किया गया है । हमारी सरकार व्यापारियों तथा उद्योगपतियों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः जागरूक है और उनकी माँगों की प्रतिक्रियास्वरूप हमने निम्नलिखित कर राहतों की घोषणा की है ताकि सम्बद्ध वस्तुओं में व्यापार को बढ़ावा मिल सके :—

(i) कम्बलों पर बिक्री कर 4% से घटाकर 2% कर दिया गया है ।

(ii) लौह तथा अलौह धातु के बर्तनों पर जिन में प्रैशर कुकर भी शामिल है, हरियाणा अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, दोनों के अधीन बिक्रीकर घटाकर 3% कर दिया गया है।

(iii) जूट के थैलों, परतदार थैलों और एच० डी० पी० ई० बुने हुए बोरों पर बिक्री कर वर्तमान 8% से घटाकर 4% कर दिया गया है।

(iv) इसी प्रकार हलवाइयों, बेकरीवालों और ढाबेवालों को बिक्री कर के भुगतान से पूर्णतया छूट दे दी गई है जैसा कि 31.12.1987 के पहले था।

कर्मचारियों को लाभ

38. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1986 से चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर नए वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इन वेतन संशोधनों के साथ 608 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तक महंगाई भत्ता मूल वेतन में मिला दिया गया है और वेतन में 20 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि प्रदान की गई है। इस निर्णय से 139 करोड़ रुपए का खर्च आया है जिसमें सामान्य भविष्य निधि में जमा कराई गई लगभग 62 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। सरकार ने वेतनमानों में सभी असंगतियों को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं और कुछ ऐसे निर्णय भी लिए हैं जिनसे सरकारी कर्मचारियों को दीर्घकालीन लाभ उपलब्ध होंगे।

हमारी सरकार ने नियत चिकित्सा भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति वर्ष कर दिया है और नियत यात्रा भत्ता तथा साइकिल भत्ता दुगना कर दिया है। हमने 25,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों में तैनात कर्मचारियों को 200 रुपए तक मकान किराया भत्ता भी प्रदान कर दिया है जिनमें पहले केवल 50 रुपए तक का ग्रामीण भत्ता देय था। विभिन्न पदों के लिए स्वीकार्य विशेष वेतन की दरें पहली जनवरी 1986 से दुगनी कर दी गई हैं।

सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित लाभों की भी घोषणा की है :-

क) अब द्विवर्षीय अवरोध वेतन-वृद्धियों की संख्या तीन की बजाए पाँच होगी।

ख) वेतन और विशेष वेतन मिलाकर वेतनमान के अधिकतम से न बढ़ने देने की शर्त वापिस ले ली गई है।

ग) 1-7-87 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किश्त दे दी गई है।

इन सभी कदमों से सरकार पर 22.38 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा है । सरकार को यही आशा है कि इन लाभों के साथ सरकारी कर्मचारी सरकारी कामकाज में समूची कार्यकुशलता लाने के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण लगन, समर्पण तथा निष्ठा का एहसास करेंगे ।

मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि सरकार ने निर्णय ले लिया है कि सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 1988 से संशोधित वेतनमानों के आधार पर पैंशन की राशि मंजूर की जाएगी ।

39. अन्त में, मैं वित्त विभाग के अधिकारियों तथा अमले के प्रति अपना हार्दिक आभार अवश्य व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने बजट दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक तथा समय पर तैयार किया है। मैं बजट अनुमान तैयार करने में महालेखाकार, हरियाणा का उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद करता हूँ । संघीय क्षेत्र प्रेस तथा हरियाणा प्रेस के अमले तथा अधिकारीगण भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कार्य में अनथक परिश्रम किया ।

महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं वर्ष 1988-89 के बजट अनुमान इस गरिमामय सदन के विचारार्थ तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूं ।

जय हिन्द

18370—F.D.—H.G.P., Chd.